# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–2229/2008**

जमना लाल यादव

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राजय जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, मुख्यालय, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. श्री शंकर लाल, एईएन, जरिये मुख्य अभियंता, मुख्यालय, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
4. श्री जगदीश प्रसाद जाटव, एईएन, जरिये मुख्य अभियंता, मुख्यालय, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.10.2008
**आदेश की दिनांक** : 23.07.2024
**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता, डिप्लोमाधारी (सिविल) के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 15.07.1991 को कनिष्ठ अभियंता, डिप्लोमाधारी (सिविल) की दिनांक 30.05.1977 से 31.03.1991 तक की वरिष्ठता सूची जारी की गयी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 247 पर था। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति शंकर लाल का नाम क्रम संख्या 348 पर था, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 13.08.1997 को पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसमें शंकर लाल प्रत्यर्थी संख्या–3 को पदोन्नति प्रदान की गयी, परन्तु अपीलार्थी जो शंकर लाल से वरिष्ठ था, को पदोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

"It is, therefore, prayed that this Appeal may kindly be allowed and relevant record may kindly be called for and be perused, if this Hon'ble Tribunal so pleases and the respondents may kindly be directed to promote the Appellant on the post of Assistant Engineer against the vacancies of the year 1997-98 i.e. prior to the promotion of respondent no. 3 and in case the need arises the orders dated 13.08.1996, 28.02.2004 and 14.05.2004 may kindly be quashed and set aside to the extent to which the relate to the promotion of persons junior to the appellant. The appellant may also be provided all the consequential benefits

Any other order or relief which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in favour of the Applicant/Appellant may also be passed."

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

3. पदोन्नति आदेश दिनांक 13.08.1997 के द्वारा जो पदोन्नति प्रदान की गयी है, उसमें शंकर लाल को डिग्रीधारी होना मानते हुए पदोन्नति प्रदान की गयी है। अपीलार्थी डिप्लोमाधारी है। ऐसे में अपीलार्थी स्वयं की तुलना डिग्रीधारी से करते हुए पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अपीलार्थी यह बताने में असफल रहा है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी डिप्लोमाधारी कार्मिक को पदोन्नति उससे पूर्व प्रदान की गयी है। अतः हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**